<u>विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2022 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 03 का उत्तरालेख</u>

प्रश्न	उत्तरालेख
3 (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि डिस्कॉम में कार्यदायी एजेंसियों ने अनुबंध से अधिक संविदाकर्मी रखकर अधिकारियों की मिली भगत से 8 करोड रूपये का भ्रष्टाचार किया है?	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अधीन डिस्कामो के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों एवं जुड़े हुये पोषकों को 24x7 विद्युत आपूर्ति के अनुरक्षण सफल संचालन एवं उच्च-कोटि की उपभोक्ता सेवा के उदेश्यों की पूर्ति हेतु एजेंसियों के माध्यम से कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को रखा जाता है। प्रकरण की जाँचोपरान्त विदित हुआ कि वित्तीय अनियमितायें नही हुयी हैं। अपितु पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत नगरीय/ग्रामीण मण्डलों द्वारा कतिपय कारणो से विभाग हित में श्रमिकों की संख्या बढ़ाये जाने पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन न प्राप्त होने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुयी थी। पूर्वांचल वि0वि0नि0लि0 के अन्तर्गत 30 वितरण मण्डलों में अनुबन्धित कार्यबल 18821 था जिसके विरूद्ध पोर्टल पर कार्यबल संख्या 18293 थी जिसमें 15 वितरण मण्डलों में पोर्टल पर अनुबन्ध से अधिक परन्तु मानक से कम कार्यबल पाया गया।
(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों एवं एजेंसियों पर कार्यवाही करायेंगे?	यद्यपि प्रकरण में कोई भी वित्तीय अनियमितताये नहीं पायी गई हैं परन्तु सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न करने वाले उपरोक्त पूर्वान्चल के 15 आरोपित अधिकारियों के विरूद्ध जाँच कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। 01 अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(ग) यदि हाँ, तो कब तक?	प्रश्न नही उठता है।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नही उठता है।

ए. के. शर्मा
ऊर्जा मंत्री